

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 105/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

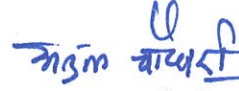
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार किया

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 22 सितंबर 2025 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया था जिसमें हितधारकों से 6 अक्टूबर 2025 तक टिप्पणियां मांगी गई थीं।

2. कुछ हितधारकों द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया जाए। इसके बाद विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. यदि कोई टिप्पणी हो, तो उसे अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbcs-2@traf.gov.in और jtadv-bcs@traf.gov.in पर भेजा जा सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) या सुश्री सपना शर्मा, संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस), भादूविप्रा से क्रमशः टेलीफोन +91-11-20907774 या टेलीफोन +91-11-26701418 पर संपर्क किया जा सकता है।


(अतुल कुमार चौधरी) 7/10/25
सचिव, भादूविप्रा